

dk; dkjh I kj

jkt; dh jkt dksh; fLFkfr

मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी अवधि 2012-13 से 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में वृद्धि हुई।

(iLrj 1.1.1)

राज्य द्वारा बजट अनुमान तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा लक्षित राजस्व आधिक्य तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के सापेक्ष बकाया ऋण के अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया। अग्रेतर, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात भी बजट अनुमान 2016-17, चौदहवें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्य से अधिक रहा।

(iLrj 1.1.2)

उत्तर प्रदेश सरकार का प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़ (2012-13) से बढ़कर 2016-17 में ₹ 29,052 करोड़ हो गया, जो यह दर्शाता है कि राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त नहीं थीं।

(iLrj 1.1.2.2)

I d k/kuk dk I xg.k

राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष ₹ 29,799 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमान से कम (₹ 24,680 करोड़) थी।

राजस्व व्यय में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष ₹ 23,856 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमान से कम (₹ 16,763 करोड़) थी।

पूँजीगत व्यय में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष ₹ 5,366 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमान से कम (₹ 2,089 करोड़) थी।

/ Lrfr: वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में लगातार बढ़ते अन्तर को कम किया जा सके।

(iLrj 1.1.1 , oI 1.1.3)

egRoi wkl ys[kki j h{kk fu"dk"l dk I kj , oI I Lrfr; k%

djk ds I xg dh ykxr

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, जो राज्य के स्वयं कर राजस्व का 45 प्रतिशत है, की संग्रह लागत अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत से लगभग दोगुना है एवं पड़ोसी राज्यों बिहार, झारखण्ड एवं मध्य प्रदेश से भी अधिक है। राज्य में करों की वास्तविक प्राप्तियों में बजट अनुमानों के सापेक्ष निरन्तर कमी रही।

/ Lrfr: वित्त विभाग तथा बिक्री कर विभाग को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की संग्रह लागत अखिल भारतीय स्तर से लगभग दोगुनी क्यों हैं तथा संग्रह लागत को कम करने के उपाय करना चाहिए।

(iLrj 1.2.2.2)

uohu i \$ku ; kstuk %, u-i h-, | -%

नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत अवधि 2005 से 2008 में पेंशन अंशदान का विवरण राज्य लेखे में उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण लेखापरीक्षा में यह आगणित करना सम्भव नहीं था कि योजना के प्रारम्भ से कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाने वाली पेंशन अंशदान की धनराशि की वास्तव में कटौती की गयी थी, राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण समतुल्य अंशदान दिया गया था तथा एन.एस.डी.एल. को हस्तान्तरित किया गया था। अवधि 2008-09 से 2016-17 में कर्मचारी अंशदान ₹ 2,830 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा वास्तव में मात्र ₹ 2,247 करोड़ का समतुल्य अंशदान किया गया, परिणामतः अंशदान ₹ 583 करोड़ कम रहा। सम्पूर्ण अंशदान ₹ 5,660 करोड़ (2008-09 से 2016-17 की अवधि में कर्मचारी अंशदान तथा राज्य सरकार का समतुल्य अंशदान) के सापेक्ष मात्र ₹ 5,001.71 करोड़ एन.एस.डी.एल. को हस्तान्तरित किया गया तथा लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342 में ₹ 545.68 करोड़ अवशेष था।

अग्रेतर, कर्मचारी अंशदान (1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से कटौती) जो 2008-09 के ₹ 5.03 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 636.51 करोड़ हो गया था, वर्ष 2016-17 में उल्लेखनीय रूप से घटकर ₹ 199.24 करोड़ हो गया। यह कमी नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान हेतु लोक लेखे में नियत मुख्य शीर्ष 8342 के अतिरिक्त किसी अन्य शीर्ष में कर्मचारी अंशदान के अनियमित हस्तान्तरण के कारण हो सकती है तथा इसे शीघ्रता से ठीक किया जाना आवश्यक है।

/ Lrfr: राज्य सरकार को 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से नवीन पेंशन योजना में आच्छादित करना सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी अंशदान की पूर्ण कटौती के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान करते हुए समयबद्ध प्रक्रिया में समर्त धनराशि एन.एस.डी.एल. को हस्तान्तरित कर दी जाये।

(iLrj 1.3.4.1)

ykd 0; ; dh i ; krrk

विकास एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

(iLrj 1.3.5.1)

fi pkbz fuelk dk; k| ds foRrh; i fj . kke

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक उपादेयता के आकलन हेतु किया गया था। लागत वसूली में अन्तर, जिसमें पिछले दो वर्षों की अवधि में सुधार हुआ है, परन्तु अभी भी यह तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग के अनुमानों के आधे से कम है। इसमें अन्य पड़ोसी राज्यों झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की तुलना में और सुधार किया जाना है।

/Lrfr: राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर लागत वसूली में सुधार हेतु उपाय प्रारम्भ करने चाहिये।

(/Lrj 1.4.1)

vi kl ifj; kstuk, a

अपूर्ण कार्यों पर धनराशियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के 611 अपूर्ण परियोजनाओं में से अद्यतन 55 परियोजनाओं की लागत में ₹ 17,010 करोड़ की वृद्धि हुई।

/Lrfr: लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग को परियोजनाओं की लागत में वृद्धि को कम करने परियोजनाओं को नियत अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया तंत्र को विकसित करना चाहिए।

(/Lrj 1.4.2)

fuos' k , o i frOy rFkk fn; s X; s __.k

वर्ष 2012-17 की अवधि में सरकार की ऋण लागत तथा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेशों के प्रतिफल में अन्तर के आधार पर, ₹ 21,964 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल का आगणन नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिए गए उधार पर भुगतानित ब्याज की धनराशि में अन्तर के आधार पर भी राज्य सरकार को ₹ 1,170 करोड़ की अनुमानित हानि हुई।

/Lrfr: राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।

(/Lrj 1.4.3, OI.4.4)

vkj f{kr fuf/k; k ds vUrxt yunu

वर्ष 2014-17 की अवधि में 21 आरक्षित निधियों में से (अन्तिम अवशेष ₹ 51,015.35 करोड़ के साथ) 18 संचालित थीं तथा तीन आरक्षित निधियां असंचालित थीं। यद्यपि यह देखा गया कि विगत पांच वर्षों के दौरान 18 संचालित निधियों के इस अत्यधिक अवशेष का कोई निवेश नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि शेष तीन असंचालित आरक्षित निधियों में ₹ 45.20 करोड़ की धनराशि मुख्य शीर्ष 8115-हास आरक्षित निधि (₹ 44.42 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि (₹ 0.78 करोड़) का निवेश दशकों पूर्व किया गया था, लेकिन खाते में कोई ब्याज क्रेडिट नहीं हुआ।

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत हस्तान्तरण तथा उससे वितरण समेकित निधि के उपयुक्त राजस्व एवं व्यय शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट एवं क्रेडिट प्रविष्टियों के माध्यम से प्रभावित होती है। ये केवल वास्तविक नकद हस्तान्तरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि ये रिजर्व बैंक जमा (आर.बी.डी.) को सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। चूँकि इसमें वास्तविक नकद बहिर्प्रवाह नहीं था, उ.प्र. सरकार द्वारा आरक्षित निधियों के सापेक्ष प्रदर्शित लेन देन केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ ही थीं जो आरक्षित निधियों के सृजन एवं संचालन के मूलभूत विचारधारा का उल्लंघन करती हैं। इसका प्रभाव केवल सम्बन्धित वर्षों के लिये अनुचित रूप से राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे की अनुकूल स्थिति दर्शाता है।

तथापि, इन निधियों में कई वर्षों से पड़े हुए बकाया अवशेष राज्य की बड़ी देनदारी को दर्शाते हैं। विशिष्ट आरक्षित निधियों के सापेक्ष ऋणात्मक तथा डेबिट अवशेषों को समेकित निधि से विनियोग द्वारा विनियमितीकरण कराये जाने की आवश्यकता है।

/Lrf% वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेनदेन एवं अवशेषों का रख-रखाव पुस्तक प्रविष्टियों के माध्यम से किये जाने की समीक्षा करनी चाहिये तथा नकद लेखांकन के सिद्धांतों का पालन रिजर्व बैंक के साथ अवशेषों के वास्तविक निवेश के माध्यम से करना चाहिए।

(iLrj 1.5.2)

fu{ksi fuf/k

बारहवें वित्त आयोग ने बकाया देनदारियों¹ के परिशोधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा समेकित निष्केप निधि (स. नि. नि.) के सृजन की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जो निधि को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी हैं, के दिशानिर्देशों के अनुसार विगत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया देनदारियों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित है। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में ₹ 1,836.26 करोड़ (₹ 3,67,251.80 करोड़, अर्थात् 31 मार्च 2016 को बकाया देनदारियों, का 0.5 प्रतिशत) का योगदान किये जाने की आवश्यकता थी।

तथापि, राज्य सरकार ने इन दिशानिर्देशों² के संदर्भ में स. नि. नि. (मौजूदा निधि को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार ने निष्केप निधि के लिए समेकित निधि के अन्तर्गत ₹ 10,772.35 करोड़ का प्रावधान किया तथा राजस्व मद में ₹ 4,145.61 करोड़ का हस्तान्तरण किया। निष्केप निधि के लेन-देनों का निवल प्रभाव यह रहा कि राज्य के बकाये दायित्व में ₹ 6,627 करोड़ की वृद्धि हो गई।

/Lrf% राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये आरबीआई द्वारा निवेश किए जाने वाले समेकित निष्केप निधि का गठन किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की शेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तक प्रविष्टि न हो।

(iLrj 1.5.2.1)

jkt; | Md , o| rNkoi j 0;

राज्य सरकार द्वारा कई वर्षों से मुख्य शीर्ष 3054/5054 और मुख्य शीर्ष 8225- सङ्केत एवं सेतु निधि के बीच एक रूप स्थानान्तरण और विपरीत स्थानान्तरण किया जा रहा है। यदि वर्ष दर वर्ष स्थानान्तरण का शुद्ध प्रभाव शून्य है तो आरक्षित निधि के सृजन का उद्देश्य निरर्थक है। अग्रेतर, 31 मार्च 2017 को निधि में (-)₹ 321.46 करोड़ का ऋणात्मक आदिशेष था, जो उपलब्ध शेष से अधिक भुगतान का संकेत देता है। यह ऋणात्मक आंकड़ा वर्ष 2014-15 के लेखे से प्रदर्शित हो रहा है। ऋणात्मक शेष राशि को समेकित निधि से विनियोग द्वारा नियमित किया जाना है।

¹ राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे दायित्व के रूप में परिभाषित।

² जैसा कि इन राज्यों ने दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित निष्केप निधि की स्थापना की है—आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा तथा जम्मू-कश्मीर।

/ Lrfr % वित्त विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 8225— सङ्क और सेतु निधि के अन्तर्गत सङ्क और सेतुओं पर आरक्षित निधि को बनाए रखने की आवश्यकता की जांच की जानी चाहिए और अविलम्ब ऋणात्मक शेष (-)₹ 321.46 करोड़ को नियमित भी करना चाहिए।

(iLrj 1.5.2.2)

jKT; vki nk vufØ; k fuf/k (jk vk v fu)

भारत सरकार के दिशानिर्देश, कि रा.आ.आ.नि. का संचालन ब्याज सहित आरक्षित निक्षेप निधि के अन्तर्गत किया जाना चाहिए, के विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने रा.आ.आ.नि. का संचालन ब्याज रहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत किया जा रहा है। अग्रेतर, निधि में अवशेष धनराशियां मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ थीं और निवेशित नहीं थीं।

अग्रेतर, वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 19.08 करोड़ की ब्याज की धनराशि (अर्थोपाय अग्रिम पर देय औसत ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत के आधार पर) राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं की गयी थी, वर्ष 2016-17 के लिए राजस्व व्यय निधि के लिए अभुगतानित ब्याज के आधार पर ₹ 19.08 करोड़ की न्यूनता रही। रा.आ.आ.नि. के संचालन से अदेय ब्याज राज्य के अलेखांकित दायित्व को प्रदर्शित करता है।

/ Lrfr% राज्य सरकार द्वारा रा.आ.आ.नि. की शेष राशि को मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि ‘ब्याज सहित आरक्षित निधि’ की श्रेणी में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं अर्थोपाय अग्रिम पर आर.बी.आई. द्वारा लागू ब्याज की दर के औसत के आधार पर अर्जित ब्याज निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देश में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।

(iLrj 1.5.2.3)

vkdfLed ns rk, &i R; khkfr; k dh fLFkfr

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया गया अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति की सीमा का निर्धारण करने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वार्षिक अंशदान ₹ 298.27 करोड़ (वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में बकाया प्रत्याभूति ₹ 59,653.72 करोड़ के 0.5 प्रतिशत की दर से) किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

दो कम्पनियों द्वारा देय गारन्टी फीस ₹ 0.92 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था। इसके बावजूद, वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोनों कम्पनियों को इकिवटी तथा सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी, यद्यपि दोनों कम्पनियों के लेखे वर्ष 2015-16 से बकाया थे।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को प्रत्याभूत की जाने वाली अधिकतम धनराशि ₹ 15,690 करोड़ के सापेक्ष बकाया प्रत्याभूत धनराशि (₹ 19,252 करोड़) ₹ 3,562 करोड़ अधिक था। यह उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसके अनुसार अधिकतम प्रत्याभूत धनराशि से अधिक की प्रत्याभूति नहीं दी जा सकती।

/ Lrfr: बारहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिये एवं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि किसी भी संस्था को निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक की प्रत्याभूति नहीं दी जाये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क तत्परता से प्राप्त करना सुनिश्चित

किया जाना चाहिये। शासन द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहायता रोक दी जानी चाहिये जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं/अथवा जिनके लेखे बकाया हैं।

(iLrj 1.5.3)

0; ; kf/kD;

उ0प्र0 बजट मैनुअल के नियम 140 एवं 174 के अनुसार, विधायिका द्वारा स्वीकृत दत्तमत अनुदान या भारित विनियोग से अधिक व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता को स्थापित करता है। यद्यपि, यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 की अवधि में कुल ₹ 6,917.60 करोड़ का अधिक व्यय था। अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा तीन अनुदानों के सापेक्ष ₹ 2,122.53 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। ऋण के प्रतिदान के अन्तर्गत व्यय का सही आकलन करने में वित्त विभाग स्वयं असफल रहा एवं फलस्वरूप वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 4,794.78 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

/ Lrfcr% वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिये कि वित्त विभाग द्वारा स्वयं एवं किसी भी विभागीय नियंत्रण अधिकारी द्वारा, राज्य विधायिका से नियमानुसार स्वीकृत आवंटन से अधिक व्यय न किया जाय।

(iLrj 2.2.1)

vf/kd g| 0; ; kf ds fofu; ferhdj .k dh vko'; drk

पिछले दशक (वर्ष 2005-16) से सम्बन्धित 95 अनुदानों एवं 38 विनियोगों के व्याधिक्य ₹ 24,144.20 करोड़ का विनियमितीकरण कराये जाने में राज्य सरकार असफल रही। वर्ष 2016-17 में, अनुदानों/विनियोगों के पाँच प्रकरणों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत धनराशि से किये गये अधिक व्यय ₹ 5,662.17 करोड़ को विनियमित किये जाने की आवश्यकता थी।

/ Lrfcr% वर्तमान में व्याधिक्य के सभी प्रकरणों को तत्परता से विनियमित किये जाने की आवश्यकता है एवं भविष्य में अत्यन्त एवं अधिकतम आकस्मिक स्थिति के प्रकरणों को छोड़कर, जिसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से नहीं की जा सकती, इस प्रकार के अदत्तमत व्यय को पूर्ण रूप से रोका जाना चाहिए।

(iLrj 2.2.2)

cpr

41 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 59 प्रकरणों में ₹ 43,036.89 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी, लेखे के राजस्व दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें 15 अनुदानों एवं पूंजीगत दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें लेखे के छ: अनुदानों में हुई। 17 अनुदानों के अन्तर्गत 22 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक), ₹ 102.54 करोड़ एवं ₹ 3,300.96 करोड़ के मध्य थी।

/ Lrfcr% सभी प्रत्याशित बचतों को समय से अम्यर्पित कर देना चाहिये जिससे निधियों का उपयोग विकास के अन्य उद्देश्यों के लिये किया जा सके।

(iLrj 2.2.3 , 01 2.2.4)

jKT; vkdfLedrk fuf/k I s vfxie & ifri frz ugha dh x; h

आकस्मिकता निधि से दिसम्बर 2016 से फरवरी 2017 के दौरान ₹ 308.12 करोड़ की धनराशि आहरित की गयी जिसकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष (मार्च 2017) के अन्त तक नहीं हुई थी। अग्रेतर, अग्रिम में से, उ.प्र. जल निगम को दिसम्बर 2016 से जनवरी 2017 के दौरान ₹ 300 करोड़ ब्याज रहित ऋण के रूप में वेतन तथा सेवानिवृत्तिक प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए दिया गया। यह आकस्मिक तथा अप्रत्याशित व्यय का समावेश नहीं करता एवं उ.प्र. आकस्मिकता निधि के नियमों के विपरीत वर्ष के दौरान इसकी प्रतिपूर्ति भी नहीं की गयी।

/ Lrfr% राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आकस्मिक एवं अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय को छोड़कर आकस्मिकता निधि से किसी अग्रिम का आहरण न किया जाय।

(iLrj 2.2.11)

0; ; dk vfrjd

राज्य सरकार द्वारा व्यय के अतिरेक के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (₹ 80.82 करोड़) एवं ग्राम पंचायत को सहायता अनुदान (₹ 2,972.99 करोड़) के लिए कुल ₹ 3,053.81 करोड़ के स्वीकृति आदेशों को एक ही दिन, 30 मार्च 2017, को निर्गत किया गया।

/ Lrfr% शासन को यह सुनिश्चित करने के लिये नियम बनाना चाहिये कि बजट प्रावधान अनुपयोगी न रहे एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय के अतिरेक पर नियन्त्रण हो।

(iLrj 2.2.12)

OKs fDrd ystj [kkrk@tek [kkrk

उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, सभी अन्तिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को समर्पित कर देना चाहिए, इसके विपरीत शासन के पी.एल. खातों में 31 मार्च 2017 तक अन्तिम अवशेष ₹ 6,835.75 करोड़ था। अग्रेतर, नियमों के विपरीत उ.प्र. सरकार 341 पी.डी./पी.एल.ए. जिसमें तीन वर्षों से अधिक समय से लेन-देन नहीं हुआ था, को बन्द करने में असफल रही।

राज्य सरकार के विभागों द्वारा नियमित रूप से अव्ययित धनराशि को पी.डी./पी.एल. खातों में अन्तरित किया जाता रहा है। विभागों की ऐसी प्रथा विधायी उद्देश्य का उल्लंघन है, क्योंकि विधायिका का उद्देश्य है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के लिये अनुमोदित निधियां उसी वित्तीय वर्ष में व्यय हो। वित्त विभाग, जो लोक वित्त का अभिरक्षक है, द्वारा ऐसे अनियमित व्यवहार पर नियन्त्रण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी अथवा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति नहीं की गयी।

/ Lrfr% वित्त विभाग द्वारा सभी पी.डी./पी.एल. खातों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है एवं इन पी.डी./पी.एल. खातों में अनावश्यक पड़े सभी धनराशियों को तत्काल समेकित निधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अग्रेतर, वित्तीय नियमावली में निहित निर्देशों को वित्त विभाग द्वारा दोहराते हुये यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि नियमों के अनुसरण करने में असफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये।

(iLrj 3.1)

Hkou , o| vU; | fluekZ k Jfed dY; k.k mi dj

बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही (नवम्बर 2009) अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं, इसलिए आय एवं व्यय की प्रामाणिकता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। बोर्ड के पास मार्च 2017 में ₹ 3,194.96 करोड़ उपलब्ध थे, जो बैंक खातों में रखे गये थे।

बोर्ड द्वारा स्थायी परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया जिसके अभाव में सृजित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व तथा उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

उ.प्र. सरकार द्वारा मार्च 2017 तक बोर्ड को ₹ 34.48 करोड़ स्थानान्तरित किया जाना शेष था अतः उक्त धनराशि से राजस्व आधिक्य में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटा में न्यूनता रही।

शासनादेशों (अगस्त 2012 एवं सितम्बर 2016) द्वारा उपकर की प्राप्तियों को शासकीय लेखे (राज्य की समेकित निधि) में लाये बिना सीधे बोर्ड द्वारा संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में जमा किये जाने के निर्देश सरकारी लेखांकन के सिद्धान्तों का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि कितनी धनराशि का संग्रहण उपकर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया गया एवं कितनी धनराशि बोर्ड को स्थानान्तरित की गयी।

/ Lrfcr% उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड द्वारा समय से लेखे की तैयारी प्रारम्भ किया जाना तथा भवन एवं सन्निर्माण शमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अधिदेश की पूर्ति हेतु सम्बन्धित अमिलेखों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यमों से, के स्थान पर बोर्ड के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरण किये जाने के अपने आदेशों की उ.प्र. सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।

(iLrj 3.2)

fodkl i kf/kdj .kk , o| vkokl fodkl i fj "knk dks vfrfj Dr LVKEi M; Mh dk vUrj .k

उ.प्र. सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त धनराशि के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है। परिणामस्वरूप यह आकलन करना सम्भव नहीं है कि संपूर्ण दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त की गयी तथा सम्बन्धित प्राधिकरणों इत्यादि को स्थानान्तरित कर दी गयी। धनराशि का स्थानान्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से किये जाने के उ.प्र. शासन के आदेश (सितम्बर 2015) ने अपारदर्शिता को बढ़ा दिया।

अग्रेतर, अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का 25 प्रतिशत डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को स्थानान्तरित किये जाने का शासन का आदेश (सितम्बर 2013) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था, जिसमें इस प्रकार के किसी विभाजन का प्रावधान नहीं है।

/ Lrfcr% उ.प्र. सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्तियां एवं उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों/निगमों आदि को स्थानान्तरित धनराशि, लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को हस्तान्तरण सम्बन्धी आदेश, जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है, की समीक्षा भी उ.प्र. सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

(iLrj 3.3)

ys[ks e: vi kj nf' k]k

उ.प्र. शासन के विभागों द्वारा लघु शीर्ष 800 का नियमित रूप से परिचालन किया जा रहा है, जिसे केवल असाधारण मामलों में ही परिचालित किया जाना चाहिये। वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्तियों के अन्तर्गत ₹ 36,826.27 करोड़ एवं व्यय के अन्तर्गत ₹ 35,329.20 करोड़ लघु शीर्ष 800 में पुस्तांकित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लेनदेनों में अपारदर्शिता रही।

/ Lrfr% वित्त विभाग को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत वर्तमान में दर्शित हो रहे सभी मददों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाये।

(iLrj 3.4)

I koltfud {ks= ds mi Øek@fuxek@ ds ys[kkvk@ dk vflurehdj . k

56 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों/निगमों (230 लेखे) एवं 36 अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों/निगमों के लेखे (527 लेखे) एक से 34 वर्षों से बकाया है। इसके बावजूद, वित्त विभाग द्वारा इन पी.एस.यू. को बजटीय समर्थन उपलब्ध कराया गया, जिनमें से केवल वर्ष 2016-17 में ही ₹ 21,038.52 करोड़ उपलब्ध कराया गया था।

/ Lrfr% वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू. के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया हैं एवं सुनिश्चित करना चाहिये कि उन्हें समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बने एवं उन सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन रोक देना चाहिए जहाँ लेखे निरन्तर बकाया हैं।

(iLrj 3.6)

ykhkk@ k v?kkf"kr

राज्य सरकार के नीति के विपरीत कि सभी लाभ अर्जित करने वाली पी.एस.यू. के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूँजी के योगदान का पांच प्रतिशत न्यूनतम रिटर्न भुगतान करे, 10 लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. ने ₹ 507.48 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

/ Lrfr% राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. द्वारा वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा कराया जाये।

(iLrj 3.7)

mi Hkkx i ek. k&i =k@ dks i Lrj u fd; k tkuk

उत्तर प्रदेश शासन के विभाग ₹ 97,906.27 करोड़ के सहायता अनुदानों के उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने में असफल रहे। कई प्रकरणों में, उन्हीं प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन्हीं विभागों से अगला अनुदान प्राप्त करना जारी रखा गया जबकि पूर्व के अनुदानों के उपभोग प्रमाण पत्र लम्बित थे।

/ Lrfr% वित्त विभाग द्वारा एक समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत अनुदान अवमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग अनुदान आदेश में निहित समय से अधिक लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों का संग्रह करें एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अवधि में, प्रशासनिक विभाग व्यतिक्रमी अनुदानग्राहियों को अगला अनुदान अवमुक्त न करे।

(iLrj 3.11)

yfEcr foLrr vkdfLed fcy

वित्त विभाग, जिसे सुनिश्चित करना चाहिये कि मात्र बजट व्यपगत होने से बचाने के लिये संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से आहरण न हो, वित्त विभाग ने स्वयं ही वित्तीय वर्ष के अन्तिम चार दिनों में ए.सी. देयकों के माध्यम से ₹ 32.63 करोड़ आहरित किये।

/Lrf% वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय से लम्बित सभी ए.सी. देयकों का समायोजन समयबद्ध तरीके से किया जाय एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र बजट व्यपगत होने से बचाने के लिये ए.सी. देयकों से आहरण न हो।

(iLrj 3.12)

tekvka ij c; kt dk Hkxrku u fd; k tkuk

वित्त विभाग जमाओं पर ब्याज पुस्तांकित करने में असफल रहा। ऐसे अपुस्तांकित ब्याज के कारण मात्र वर्ष 2016–17 में राजस्व आधिक्य में ₹ 256.92 करोड़ की अतिशयता हुई।

/Lrf% वित्त विभाग को मुख्य शीर्ष 8336 से 8342 के अन्तर्गत सभी ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज दर्ज करने हेतु समुचित कार्यवाही के लिये अवशेषों की समीक्षा करनी चाहिए।

(iLrj 3.13)

jkt; ds i puxBu ds i 'pkr~vo'ks'kk dk foHkktu

राज्य सरकार द्वारा अभी भी (नवम्बर 2000 से) उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य जमा और अग्रिम के अन्तर्गत प्रदर्शित अवशेष धनराशि ₹ 8,757.37 करोड़ विभाजन हेतु अवशेष है।

/Lrf% राज्य सरकार द्वारा निक्षेप और अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।

(iLrj 3.14)

jktLo vkf/kD; , oajkt dks"kh; ?kkVk ij i Hkko

लेखापरीक्षा विश्लेषण के अनुसार व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य में ₹ 677.83 करोड़ की अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 608.75 करोड़ की न्यूनता रही। निक्षेप निधि के संव्यवहारों के परिणामस्वरूप राज्य के बकाया दायित्व में ₹ 6,627 करोड़ की वृद्धि हुई।

(iLrj 1.1.2 , OI 3.17)